

कार्यालय आदेश सं...19/17.

श्रीमती अलका दुबे पत्नी श्री सुजीत कुमार दुबे/कार्याधी अन्तर्गत वमयाई कार्यालय/वारा. ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु दिनांक 31.10.2016 को अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। जिस पर विचार करते हुए सक्षम अधिकारी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

जिसके अनुपालन में दिनांक 31.01.2017 से श्रीमती अलका दुबे पत्नी श्री सुजीत कुमार दुबे /कार्याधी वमयाई कार्यालय/वारा. को रेल सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्त किया जाता है।

उपरोक्त पर वमयाई/ओ एण्ड एफ का अनुमोदन प्राप्त है।

कृते मंडल रेल प्रबंधक(का)

वाराणसी

दिनांक: 31.01.2017

सं. का/या/पीसी/श्रीमती अलका दुबे

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वमयाई/ (ओ एंड एफ)
2. वमविप्र/वारा.
3. मु. कार्याधी/समापक
4. मु. कार्याधी/यांत्रिक बिल
5. हित निरीक्षक/वारा. (कृपया उक्त कर्मचारी का पेशान सम्बन्धि फार्म अविलम्ब भरवाने की व्यवस्था करे)
6. सम्बंधित कर्मचारी
7. मंडल मंत्री नरमू/अजा/अजजा/ओ.बी.सी./वारा
8. कम्प्युटर सेल/एम.पी.पी सेल/वारा.
9. अन्य प्रति

कृते मंडल रेल प्रबंधक(का)

वाराणसी